



म.प्र. निजी विश्वविद्यालय विनियामक आयोग, भोपाल

मध्यप्रदेश शासन

M.P. PRIVATE UNIVERSITY REGULATORY COMMISSION, BHOPAL

Government of Madhya Pradesh

क्र. २४१५/शुल्क/म.प्र.नि.वि.वि.आयोग/2024

दिनांक ०५/९/२४

आदेश

प्रति,

कुलसचिव,
मंदसौर विश्वविद्यालय
मंदसौर (म.प्र.)

विषय- शैक्षणिक सत्र वर्ष 2024-25 में संचालित पाठ्यक्रमों की शुल्क समीक्षा।

—00—

उपरोक्त विषयांतर्गत मध्यप्रदेश निजी विश्वविद्यालय (स्थापना एवं संचालन) अधिनियम 2007 की धारा 36(10)(ख) एवं (ड) में निहित प्रावधानों के अनुपालन में प्रदेश के निजी विश्वविद्यालयों में वर्ष 2024-25 में संचालित पाठ्यक्रमों हेतु विश्वविद्यालय द्वारा प्रस्तावित प्राप्त शुल्क समीक्षा प्रस्ताव के परिप्रेक्ष्य में मध्यप्रदेश निजी विश्वविद्यालय विनियामक आयोग द्वारा शिक्षा की लागत के आधार पर समीक्षा की गई है। आयोग द्वारा गठित शुल्क समीक्षा समिति की बैठक दिनांक 24.08.2024 में की गयी अनुशंसा के परिप्रेक्ष्य में एवं आयोग की 192वीं सभा बैठक दिनांक 05.09.2024 में किये गये अनुमोदन उपरांत विश्वविद्यालय में संचालित विभिन्न पाठ्यक्रमों हेतु अनुमोदित शुल्क का विवरण निम्नानुसार है:-

विश्वविद्यालय के शैक्षणिक सत्र 2024-25 में संचालित पाठ्यक्रमों हेतु अनुमोदित शुल्क का विवरण
(राशि रुपये में)

S.No	Faculty/ Name of Institute	Course Name	Proposed Fee by University	Fee Reviewed by Fee Review Committee		
				Tuition Fee (85%)	Development Fee & All other Miscellaneous fee (15%)	Total Fee
1	Faculty of Business Management	BBA	44000	36550	6450	43000
2		MBA	82500	66300	11700	78000
3		Ph.D	71500	59500	10500	70000
4	Faculty of Arts	BA (Journalism & Mass Communication)	55000	44625	7875	52500
5		BA (Fashion Design)	66000	53550	9450	63000
6		BA (Tourism and Hospitality)	58300	47600	8400	56000
7		MA (JMC)	55000	45900	8100	54000
8		Ph.D (Tourism and Hospitality)	71500	59500	10500	70000

[Signature]

[Signature]

// 02 //

विश्वविद्यालय के शैक्षणिक सत्र 2024-25 में संचालित पाठ्यक्रमों हेतु अनुमोदित शुल्क का विवरण
(राशि रुपये में)

9	Faculty of Commerce	B. COM	38500	31875	5625	37500
10	Faculty of Engineering & Technology	Diploma (ELEC.)	44000	36550	6450	43000
11		Diploma (MECH)	44000	36550	6450	43000
12		Diploma (CIVIL)	44000	36550	6450	43000
13		BE (CSE)	83270	68000	12000	80000
14		BE (EEE)	77000	63750	11250	75000
15		BE (MECH)	77000	63750	11250	75000
16		BE (CIVIL)	77000	63750	11250	75000
17		M Tech	88000	72250	12750	85000
18		Ph.D	93500	76500	13500	90000
19	Faculty of Education	B.Ed	49500	40800	7200	48000
20		B.P.Ed	49500	40800	7200	48000
21		B P ES	42000	34000	6000	40000
22		MA Education	38500	32300	5700	38000
23		Ph.D	71500	59500	10500	70000
24	Faculty of Pharmacy	D PHARM	59180	46750	8250	55000
25		B PHARM (BRNCOP)	88000	68000	12000	80000
26		M.Pharma (Pharmaceutics)	82500	63750	11250	75000
27		Ph.D	93500	76500	13500	90000
28	Faculty of Agriculture	B.Sc Hons. (Agriculture)	66000	53550	9450	63000
29		M. Sc (Agriculture & Agronomy)	60500	48875	8625	57500
30	Faculty of Life Science	B.Sc (Biotech. Hons)	38500	32300	5700	38000
31		B.Sc (Microbiol. Hons)	38500	32300	5700	38000
32		B.Sc (Forensic Scien)	53000	42500	7500	50000
33		M.Sc (Microbio. Hons)	39600	33150	5850	39000
34		M.Sc (Biotech. Hons)	39600	33150	5850	39000

// 03 //

विश्वविद्यालय के शैक्षणिक सत्र 2024-25 में संचालित पाठ्यक्रमों हेतु अनुमोदित शुल्क का विवरण
(राशि रुपये में)

34		Ph.D	82500	68000	12000	80000
36	Faculty of Computer Application	BCA	38500	32300	5700	38000
37		BCA (CC/SYSCS)	60500	48875	8625	57500
38		MCA	66000	53550	9450	63000
39		Ph.D	82500	68000	12000	80000
40	Faculty of Library Science	B. Lib. Sc	27500	23375	4125	27500
41		M. Lib. Sc.	27500	23375	4125	27500
42		Ph.D	71500	59500	10500	70000
43	Faculty of Ayurveda	BAMS	310000	229500	40500	270000
44		Ph.D	93500	76500	13500	90000

- उपरोक्त शुल्क समीक्षा विश्वविद्यालय के प्रस्ताव एवं उनके सनद लेखापाल द्वारा प्रमाणित अंकेक्षित वित्तीय आकड़ों के आधार पर प्रावधिक रूप से की गई है।
- उपरोक्त समीक्षित शुल्क के अंतर्गत रजिस्ट्रेशन, प्रवेश, शिक्षण, प्रयोगशाला, पुस्तकालय, खेलकूद, एवं अन्य पाठ्येतर गतिविधियों सहित शुल्क सम्मिलित है। विश्वविद्यालय द्वारा उपरोक्तानुसार समीक्षित शुल्क के अतिरिक्त लिये जाने वाले अन्य शुल्क शिक्षा की लागत से अधिक नहीं होंगे एवं अन्य शुल्कों का लेखा भी पृथक से संधारित कर आयोग के समक्ष प्रस्तुत किया जायेगा।
- अनुमोदित शुल्क में से विकास शुल्क का लेखा पृथक से संधारित किया जाना अनिवार्य है। अधिनियम के प्रावधानानुसार विकास शुल्क की राशि का उपयोग विश्वविद्यालय के विकास में ही करना होगा एवं विकास शुल्क के उपयोग से संबंधित ब्यौरा पृथक से संधारित कर आयोग के समक्ष प्रस्तुत किया जायेगा।
- सत्र हेतु उपरोक्त प्रक्षेपित वित्तीय आंकड़ों एवं अंकेक्षित वित्तीय वास्तविक आंकड़ों की परस्पर तुलना कर आगामी वित्तीय वर्ष की शुल्क संरचना का प्रस्ताव प्रस्तुत करना होगा तथा पूर्व वित्तीय वर्ष के शुल्क में अंतर होने पर कारण स्पष्ट किया जायेगा।
- यदि शिक्षण शुल्क की लागत में वृद्धि होती है तो उसकी पूर्ति किस प्रकार की जावेगी, यह स्पष्ट करना होगा। यदि शिक्षा की लागत में कमी होती है तो विद्यार्थियों से लिये गये अधिक शुल्क को अनिवार्यतः वापस करने हेतु संबंधित विश्वविद्यालय उत्तरदायी होगा।

// 04 //

शैक्षणिक सत्र 2024-25 में संचालित पाठ्यक्रमों हेतु अनुमोदित शुल्क का विवरण

6. म.प्र. निजी विश्वविद्यालय (स्थापना एवं संचालन) अधिनियम 2007 की धारा 28 एवं 29 के अंतर्गत पाठ्यक्रम संचालन के पूर्व अध्यादेशों के राजपत्र में प्रकाशन का प्रावधान विहित है। उपरोक्त सूची में सम्मिलित ऐसे पाठ्यक्रमों हेतु यह शुल्क आदेश लागू नहीं होगा जिन पाठ्यक्रमों के अध्यादेश म.प्र. राजपत्र में प्रकाशित नहीं हैं।
7. म.प्र. निजी विश्वविद्यालय (स्थापना एवं संचालन) अधिनियम 2007 यथासंशोधित द्वितीय संशोधन अध्यादेश 2016 की धारा 9(ख) के अंतर्गत निजी विश्वविद्यालय के कक्षाओं एवं पाठ्यक्रमों को प्रारंभ करने के पूर्व आयोग से अनुज्ञा प्राप्त करने का प्रावधान है। यह शुल्क आदेश केवल विश्वविद्यालय द्वारा आयोग से धारा 9(क) एवं (ख) की अनुमति प्राप्त करके संचालित किये जा रहे पाठ्यक्रमों हेतु लागू होगा।
8. विनियामक परिषदों की अनुमति से विश्वविद्यालय द्वारा संचालित पाठ्यक्रमों हेतु सत्र 2024-25 की अनुमति प्राप्त होने की स्थिति में शुल्क आदेश लागू होगा।

(अध्यक्ष, म.प्र.नि.वि.वि.आयोग,द्वारा अनुमोदित)

(सुनील खरे)
प्रबंधक

(म.प्र.नि.वि.वि.आयोग, भोपाल)
भोपाल, दिनांक 05/9/24

पृ. क्रमांक 2416 / म.प्र.नि.वि.वि.आ / 2024
प्रतिलिपि-

1. निज सहायक के माध्यम से अध्यक्ष, म.प्र.नि.वि.वि. आयोग, भोपाल।
2. कुलपति, संबंधित विश्वविद्यालय, म.प्र.।
3. छात्रवृत्ति शाखा, म.प्र.नि.वि.वि. आयोग, भोपाल।
4. आई.टी. शाखा, म.प्र.नि.वि.वि. आयोग, भोपाल।
5. गार्ड फाईल।

..... की ओर आवश्यक कार्यवाही हेतु एवं सूचनार्थ।

(म.प्र.नि.वि.वि.आयोग, भोपाल)
प्रबंधक



म.प्र. निजी विश्वविद्यालय विनियामक आयोग, भोपाल

मध्यप्रदेश शासन

M.P. PRIVATE UNIVERSITY REGULATORY COMMISSION, BHOPAL

Government of Madhya Pradesh

क्र.

686/शुल्क/म.प्र.नि.वि.वि.आयोग/2025

दिनांक 21/01/25

आदेश

प्रति,

कुलसचिव,
मंदसौर विश्वविद्यालय
मंदसौर (म.प्र.)

विषय- शैक्षणिक सत्र वर्ष 2024-25 में संचालित पाठ्यक्रमों की शुल्क समीक्षा।

—00—

उपरोक्त विषयांतर्गत मध्यप्रदेश निजी विश्वविद्यालय (स्थापना एवं संचालन) अधिनियम 2007 की धारा 36(10)(ख) एवं (ड़) में निहित प्रावधानों के अनुपालन में प्रदेश के निजी विश्वविद्यालयों में वर्ष 2024-25 में संचालित पाठ्यक्रमों हेतु विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित शुल्क की समीक्षा मध्यप्रदेश निजी विश्वविद्यालय विनियामक आयोग द्वारा शिक्षा की लागत के आधार पर अधोलिखित तथ्यों/शर्तों के अध्यधीन आयोग के पत्र क्र. 2389 दिनांक 05.09.2024 के माध्यम से की गई थी। विश्वविद्यालय में संचालित विनियामक परिषद के पाठ्यक्रम की अनुमति प्राप्त हो चुकी है, अतः प्राप्त आवेदन अनुसार विश्वविद्यालय में संचालित निम्नांकित पाठ्यक्रमों हेतु अनुमोदित शुल्क का विवरण निम्नानुसार है:-

विश्वविद्यालय के शैक्षणिक सत्र 2024-25 में संचालित पाठ्यक्रमों हेतु अनुमोदित शुल्क का विवरण (राशि रुपये में)

S.No	Faculty/ Name of Institute	Course Name	Proposed Fee by University	Fee Reviewed by Fee Review Committee		
				Tuition Fee (85%)	Development Fee & All other Miscellaneous fee (15%)	Total Fee
1	Faculty of Nursing	B.Sc. Nursing	83600	68000	12000	80000

- उपरोक्त शुल्क समीक्षा विश्वविद्यालय के प्रस्ताव एवं उनके सनद लेखापाल द्वारा प्रमाणित अंकेक्षित वित्तीय आकड़ों के आधार पर प्रावधिक रूप से की गई है।
- उपरोक्त समीक्षित शुल्क के अंतर्गत रजिस्ट्रेशन, प्रवेश, शिक्षण, प्रयोगशाला, पुस्तकालय, खेलकूद, एवं अन्य पाठ्येतर गतिविधियों सहित शुल्क सम्मिलित है। विश्वविद्यालय द्वारा उपरोक्तानुसार समीक्षित शुल्क के अतिरिक्त लिये जाने वाले अन्य शुल्क शिक्षा की लागत से अधिक नहीं होंगे एवं अन्य शुल्कों का लेखा भी पृथक से संधारित कर आयोग के समक्ष प्रस्तुत किया जायेगा।

[Signature]

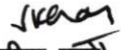
[Signature]

// 02 //

शैक्षणिक सत्र 2024-25 में संचालित पाठ्यक्रमों हेतु अनुमोदित शुल्क का विवरण

3. अनुमोदित शुल्क में से विकास शुल्क का लेखा पृथक से संधारित किया जाना अनिवार्य है। अधिनियम के प्रावधानानुसार विकास शुल्क की राशि का उपयोग विश्वविद्यालय के विकास में ही करना होगा एवं विकास शुल्क के उपयोग से संबंधित ब्यौरा पृथक से संधारित कर आयोग के समक्ष प्रस्तुत किया जायेगा।
4. सत्र हेतु उपरोक्त प्रक्षेपित वित्तीय आंकड़ों एवं अंकक्षित वित्तीय वास्तविक आंकड़ों की परस्पर तुलना कर आगामी वित्तीय वर्ष की शुल्क संरचना का प्रस्ताव प्रस्तुत करना होगा तथा पूर्व वित्तीय वर्ष के शुल्क में अंतर होने पर कारण स्पष्ट किया जायेगा।
5. यदि शिक्षण शुल्क की लागत में वृद्धि होती है तो उसकी पूर्ति किस प्रकार की जावेगी, यह स्पष्ट करना होगा। यदि शिक्षा की लागत में कमी होती है तो विद्यार्थियों से लिये गये अधिक शुल्क को अनिवार्यतः वापस करने हेतु संबंधित विश्वविद्यालय उत्तरदायी होगा।
6. म.प्र. निजी विश्वविद्यालय (स्थापना एवं संचालन) अधिनियम 2007 की धारा 28 एवं 29 के अंतर्गत पाठ्यक्रम संचालन के पूर्व अध्यादेशों के राजपत्र में प्रकाशन का प्रावधान विहित है। उपरोक्त सूची में सम्मिलित ऐसे पाठ्यक्रमों हेतु यह शुल्क आदेश लागू नहीं होगा जिन पाठ्यक्रमों के अध्यादेश म.प्र. राजपत्र में प्रकाशित नहीं है।
7. म.प्र. निजी विश्वविद्यालय (स्थापना एवं संचालन) अधिनियम 2007 यथासंशोधित द्वितीय संशोधन अध्यादेश 2016 की धारा 9(ख) के अंतर्गत निजी विश्वविद्यालय के कक्षाओं एवं पाठ्यक्रमों को प्रारंभ करने के पूर्व आयोग से अनुज्ञा प्राप्त करने का प्रावधान है। यह शुल्क आदेश केवल विश्वविद्यालय द्वारा आयोग से धारा 9(क) एवं (ख) की अनुमति प्राप्त करके संचालित किये जा रहे पाठ्यक्रमों हेतु लागू होगा।
8. विनियामक परिषदों की अनुमति से विश्वविद्यालय द्वारा संचालित पाठ्यक्रमों हेतु सत्र 2024-25 की अनुमति प्राप्त होने की स्थिति में शुल्क आदेश लागू होगा।

(अध्यक्ष, म.प्र.नि.वि.वि.वि.आयोग,द्वारा अनुमोदित)


(सुनील खरे)
प्रबंधक

म.प्र.नि.वि.वि.वि.आयोग, भोपाल


भोपाल, दिनांक

पृ. क्रमांक...../म.प्र.नि.वि.वि.वि.आ/2025

प्रतिलिपि—

1. निज सहायक के माध्यम से अध्यक्ष, म.प्र.नि.वि.वि.वि. आयोग, भोपाल।
2. कुलपति, संबंधित विश्वविद्यालय, म.प्र.।
3. छात्रवृत्ति शाखा, म.प्र.नि.वि.वि.वि. आयोग, भोपाल।
4. आई.टी. शाखा, म.प्र.नि.वि.वि.वि. आयोग, भोपाल।
5. गार्ड फाईल।

..... की ओर आवश्यक कार्यवाही हेतु एवं सूचनार्थ।


प्रबंधक
म.प्र.नि.वि.वि.वि.आयोग,भोपाल